

From,

~~Sushil Kumar,~~  
Joint Registrar,  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

Request-116

To,

The District Judge,  
Kanpur Nagar.

No. 2979 / IV- 3018 / Admin (A) / Dated 18-02-2011

Subject: - Application of Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar for grant of permission to get published a book.

Sir,

With reference to your endt. no. 2040/ I dated 27.10.2010 on the above subject, I am directed to say that Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar may be asked to clarify as to whether he has earlier sought permission for writing the book, which he wants to get published, as the same is required to be obtained as per conditions/ provisions of the O.M./ G.O. dated 11.10.1968. If the same is not done earlier, it appears to be a lapse. He may also be asked to intimate clearly about the conditions and payment of royalty, so that further necessary action may be taken in the matter.

Your faithfully

~~Signature~~  
15/2/11  
Joint Registrar

J.R. (M)

May issue?

~~Signature~~  
14-2-2011

~~Signature~~  
14-2-11  
A.R.

188  
30/10/2010

2.11.10

File No.	21435
Serial No.	3018
	55

पेषक,  
मृदुल कुमार मिश्रा,  
अपर सिविल जज(सी डि)  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

16-11

15/11/10  
-12-10

132  
2-11-10

सेवा में,  
संयुक्त निबन्धक, एडमिन(ए)  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।  
द्वारा  
आदरणीय जनपद न्यायाधीश,  
कानपुर नगर।

Request-116

सन्दर्भ पत्र संख्या 16491/iv-3018/एडमिन(ए)/दिनांकित 11.10.2010 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके उक्त पत्र द्वारा मुझसे अपनी पुस्तक के बारे में शासनादेश संख्या 0-3143/11-बी 1968 के अनुक्रम में अपनी पुस्तक की स्थिति स्पष्ट करने के लिये आदेशित किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना है कि:-

1- मेरी पुस्तक का नाम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम 1972]सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक समरपाये तथा उपकार है जो कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 के सन्दर्भ में लिखी गयी है।

2- इस सन्दर्भ में मुझे कमीशन बेसिस पर कोई भी रॉयल्टी (royalty) देय नहीं है।

3- इसमें सरकार के लिये कोई भी (imprimatur) नहीं है।

4- पुस्तक में कहीं पर मेरा पद नाम नहीं दिया गया है।

5- इस पुस्तक में राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की नीति या कार्य की आलोचना नहीं की गयी है।

6- इससे सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के किसी भी प्राविधानो का अतिक्रमण नहीं हो रहा है।

7- पुस्तक में उचित स्थान पर यह कथन किया गया है कि पुस्तक में व्यक्त विचार मेरे निजी विचार है और उनकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है तथा सरकार का इस पुस्तक के प्रकाशन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

(5925)  
S. R. M. H/A

J.R. (M)  
02-11-10

AKS  
04-12-10

दिनांक 27.10.2010

JRCM

W.O. Gencl

102 NOV 2010

मृदुल  
27/10/10

(मृदुल कुमार मिश्रा)  
अपर सिविल जज(सी डि)  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

100  
20/10/2015  
39/12/2015 82

KANPUR NAGAR JUDGESHIP.

No. 2040/I Dated: Oct. 27, 19.

Forwarded to the Joint Registrar (Admn.),  
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

District Judge,  
Kanpur-Nagar.

From,

**Surendra Bahadur,**  
Joint Registrar,  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

Request - 116

To,

**The District Judge,**  
Kanpur Nagar

No. 16491 / IV- 3018 / Admin (A) / Dated 11-10-2010

Subject: - Application of Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar for grant of permission to get published a book.

Sir,

With reference to your endt. no. 1153/ I dated 10.06.2010, on the above subject, I am directed to send herewith a copy of the O.M./ G.O. No. O-3143/ II-B-1968, dated 11.10.1968 and to say that Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar may be asked to clarify about the position of his request/ case for grant of permission to get published the book, as per conditions/ provisions of the O.M./ G.O. dated 11.10.1968 first, so that further necessary action may be taken in the matter.

Encl : As above

Your faithfully

*S. Bahadur*  
06/10/2010  
Joint Registrar

No. 16492 / IV- 3018/ Admin (A) / dated 11-10-2010

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar.

*S. Bahadur*  
06/10/2010  
Joint Registrar

J.R.(M)

Approval of  
the Reg.  
General is  
pleased  
to be  
May issue?  
05-10-10

*S. Bahadur*  
05-10-10

*A*  
6/10/10  
AR

10/8  
3/8/10  
10/6/10

Sentinal  
7-8-10  
w.o Encl

R.B-19-7/10  
R.B.  
26-6-10  
9-8-10

R.S.  
23-7-10

मृदुल कुमार मिश्रा,  
अपर सिविल जज(सी0डि0)  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

14712  
27/30/18  
48

Request-116

3/18/10  
14-9-10

10/8  
18-6-10

सेवा में

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा: श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,  
कानपुर नगर।

सन्दर्भ उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने,किराये तथा बेदखली का विनियमन)अधिनियम 1972 की पुस्तक प्रकाशन कराने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने,किराये तथा बेदखली का विनियमन)अधिनियम 1972 से सम्बन्धित एक पुस्तक लिखी गयी है और मैं उस पुस्तक का प्रकाशन कराना चाहता हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त पुस्तक के प्रकाशन कराने की अनुमति के सम्बन्ध में मेरे प्रार्थनापत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

JRCM  
w.o Encl  
5-8-10

6 AUG 2010

Library  
w.o Encl

दिनांक 10/06/10

Res. Bure  
w.o Encl

So Adm N/O  
10/6/10  
JRCM  
06-08-10

कानपुर नगर जजशिव

संख्या 1153/II दिनांक 10 जून 2010

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

भवदीय  
10/06/10  
( मृदुल कुमार मिश्रा )  
अपर सिविल जज(सी0डि0)  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

जनपद न्यायाधीश  
कानपुर नगर  
District Judge  
Kanpur-Nagar

21 JUN 2010

186  
J Regs. Admn.  
w.o Encl

24 JUL 2010

A.K.O  
15-9-10  
P.S. So R.G.  
w.o Encl

22 JUL 2010